अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 रिविजन सं0 28/11-12

प्रकाश टुडु एवं अन्य .....आवेदक।

बनाम

बदरू उर्फ राजन टुडु एवं अन्य .....विपक्षी।

।।आदेश।।

यह रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 28/11-12 प्रकाश टुडु एवं अन्य बनाम बदरू उर्फ राजन टुडु एवं अन्य सा0 तालझारनी, थाना-हँसडीहा, अंचल-रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के आर0ई0 वाद सं0 69/03-04 में पारित आदेश दिनांक 09.05.05 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनी तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातो का अवलोकन किया।

आवेदकों का कहना हैं कि आवेदकगण मौजा तालझारनी के जमाबंदी सं0 18 जमाबंदी रैयत के वंशज है एवं उक्त जमीन का शांतिपूर्वक भोग-दखल करते आ रहे हैं। किन्तु निम्न न्यायालय में विपक्षियों द्वारा गलत वंशावली दिखाकर आवेदकों उन्हें उक्त जमीन से उच्छेदित हेतु आर0ई0 वाद सं0 69/0304 दायर किया गया एवं उन्हें निम्न न्यायालय उच्छेदित किया गया जो न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त्र करते हुए आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकों को उक्त जमांबदी से कोई संबंध नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा किया गया उच्छेदित सही है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी रामगढ़ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार आवेदकों द्वारा विपक्षी की जमीन को अवैध रूप से दखल किया गया हैं। अंचल अधिकारी द्वारा उन्हें प्रश्नगत अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि को विपक्षी को वापस करने हेतु अनुशंसा किया गया है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आवेदकों को प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित किया गया हैं।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता हैं कि आवेदको द्वारा आवेदन में अंकित वंशावली एवं अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित वंशावली प्रतिवेदन में सामान्ता नहीं हैं। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित वंशावली प्रतिवेदन में आवेदकों का नाम अंकित नहीं हैं उभय पक्ष एक जमाबंदी जमीन पर अपना-अपना दावा करते है, तथा एक ही जमाबंदी का वंशज होने का भी दावा करते हैं। किन्तु आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित वंशावली एवं विपक्षी द्वारा आवेदन में अंकित वंशावली में समानता नहीं है। जो भी हो दोनो पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज होने का दावा करते है। ऐसी स्थिति में यह मामला स्वत्य एवं अधिकार का बनता है जिसका निर्णय लिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संभव नहीं है। अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।